छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1095/2007

श्री गौतम दास महंत,
पिता–श्री बुधराम दास महंत,
ग्राम–बेल्हाहीह, पो. लवसरा, तह. सक्ती,
जिला–जाजंगीर चांपा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, भिलाई
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 15 अप्रेल 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री गौतम दास महंत ने प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, भिलाई, जिला–दुर्ग के यहां दिनांक 12–06–2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था। जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 07–08–2007 को प्रस्तुत की गई और इस अपील के बाद दिनांक 20–8–2007 को जानकारी देने से इस आधार पर इंकार किया गया कि अधिनियम की धारा–24(4) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को मुक्त रखा गया है। इससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 24–10–2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई तथा प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जो जानकारी चाही गई है, वह आरक्षक चयन के बारे में 02 उम्मीवारों के संबंध में रजिस्टर, प्राप्तांक और उत्तरपुस्तिकाओं की जानकारी मांगी गई है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि उसे इस भर्ती में भ्रष्टाचार की संभावना है और जहाँ भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण की आशंका है, उस स्थिति में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को दी गई छूट लागू नहीं होती है। इस संबंध में अपीलार्थी का तर्क मान्य योग्य है, किन्तु उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति देना इसलिये संभव नहीं है, क्योंकि उससे परीक्षा की गोपनीयता भंग होती है और अधिनियम की धारा8(1)(ई) के अंतर्गत उसे छूट प्राप्त माना जा सकता है। किन्तु उसके द्वारा जो अन्य 03 जानकारियाँ चाही गई है, जैसे : आवेदन–पत्र पंजी की छायाप्रति, रोलनंबर पृष्ठ की छायाप्रति और शारीरिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में दिये गये अंकतालिका आदि की छायाप्रति उन्हें दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को सर्वप्रथम इन तीनों बिन्दुओं पर चाही गई जानकारी 15 दिनों के अन्दर उन्हें निःशुल्क प्रदान की जावे।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

जिस पर दिनांक 20–8–2007 को जानकारी देने से इस आधार पर इंकार किया गया कि अधिनियम की धारा–24(4) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को मुक्त रखा गया है।